भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2225
जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

न्यायिक सेवा हेतु तीन वर्ष की विधिक प्रैक्टिस को अनिवार्य करना

2225. डॉ. आनन्द कुमार गोंड :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सेवा (निचली न्यायपालिका) परीक्षाओं में बैठने के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की विधिक प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है ;

(ख) क्या इस शर्त से महिला अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों और बिना कानूनी पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यायिक सेवा में प्रवेश करना और अधिक कठिन हो जाएगा,

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इन वर्गों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक नया कानून लाकर तीन वर्ष की अनिवार्य विधिक प्रैक्टिस की अवधि को समाप्त या कम करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार न्यायिक सेवाओं में समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोई वित्तीय सहायता या विशेष सहायता योजना आरम्भ करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : सांविधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 तथा अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रमिक राज्य सरकार उच्च न्यायालय के साथ परामर्श से निम्नतर न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति तथा भर्ती के संबंध में नियमों और विनियमों को विरचित करती है। अतः, इसलिए संबद्ध विषय-वस्तु केंद्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आती है।

****